न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I**, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **122/2018** GCMS 2018/00345

प्रार्थीगण :–

1. रतनाराम पुत्र रूघाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी
2. नारायणराम पुत्र रूघाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी
3. देवकरण पुत्र श्री लाखाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी
4. लालाराम पुत्र लाखाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी
5. मदन पुत्र लाखाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत् 128 एल.आर .एक्ट 1956 प्रार्थना पत्र बाबत् स्थायी सीमा चिह्न कायम करने बाबत्।

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री अशोक पुरी प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 20/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम हरियाजून पटवार हल्का नारायणपुरा में कृषि भूमि खसरा सं. 420 रकबा 0.32200 है. ख.सं. 431 रकबा 0.0100 है. ख.सं. 432 रकबा 0.2100 है. ख.सं. 434 रकबा 0.0500 है. ख.सं. 483 रकबा 1.3000 है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.8900 है. स्थित चली आ रही है जिसमें प्रार्थीगण का 5/6 हिस्सा तथा सह खातेदार बिला देवी पत्नी लाखाराम, देवकरण, लालाराम, मदन पि. लाखाराम का 1/6 हिस्सा स्थित चला आ रहा है जिस पर ये आज दिन तक निर्विवाद काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। उपरोक्त नवीन खसरान के पुराने खसरा [illegible]0 रहे हैं जिसका कुल रकबा 16 बिघा 14 बिस्वा रहा है। सम्वत 2039 से 2042 की जमाबंदी में 4 बीघा 2 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार [illegible] गया जिसके नये खसरा नंबर 110/2 कायम कर लिए गये व गैर मुमकिन सड़क दर्ज की गयी। [illegible] सड़क गांव हरियाजून से निकलकर बायासा के मंदिर में जाती है। पी.डब्लू.डी अब एक नयी डब्लू. बी.एम सड़क का निर्माण कर रहा है जहां सड़क का निर्माण कर रहे हैं वहां कोई कटाणी मार्ग नहीं है और जहां कटाणी मार्ग है वहां लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:14:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

हैं। पी.डब्लू.डी विभाग जोर ज़बरदस्ती से प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 431, 432 में से जो कटाणी मार्ग नहीं, प्रार्थीगण के खेती की जमीन है जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाहते हैं। पी.डब्लू.डी विभाग ने न तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस दिया है न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया है। प्रार्थीगण ग्राम हरियाजून में न रहकर जोधपुर में रहते हैं इसका फायदा उठाकर पीडब्यूडी विभाग के अधिकारियों के आदेश पर ठेकेदार व विभाग के कर्मचारियों व गांव के कुछ व्यक्तियों ने उनसे मिलकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 431, 432 की स्थायी सीमा व सीमा चिह्न डोल को तोड़कर रास्ता कायम कर सड़क बनाना शुरू करने लगे तो इस बात का पता प्रार्थीगण को चलने पर उन्होंने उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी व भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कुचामन सिटी के कार्यालय में शिकायत की तब पीडब्लयूडी ने कार्य रोक दिया। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 420, 431, 432, 434, 483 के सीमाज्ञान के लिए तहसीलदार कार्यालय कुचामन सिटी में आवेदन पेश किया व सीमाज्ञान हेतु उचित शुल्क देने पर कई महिनों तक चक्कर लगाने के बाद में दिनांक 05.07.2018 को खसरा सं. 420, 431, 432, 434, 483 कुल रकबा 1.89 है. भूमि का सीमाज्ञान रूबरू खातेदारान व पटवारी हल्का व अन्य मौतबिरान के सक्ष करवाया व नजरी नक्शा तैयार किया। ठेकेदार को फर्द सीमाज्ञान के मुताबिक ही सड़क निर्माण का कहा गया लेकिन वह नहीं माने इस पर दिनांक 06.08.2018 को प्रार्थीगण ने एक लिखित शिकायत श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी को की जिन्होंने विकास अधिकारी कुचामन सिटी को यह लिखा की प्रकरण को देखने से खातेदारी के खेत में बिना खातेदारान की सहमति के सड़क निर्माण नहीं करें व पालना सुनिश्चित करें। पीडब्लयूडी विभाग के बार–बार परेशान करने से अपने खेत खसरान सं. 420, 431, 432, 434, 483 में पीडब्लयूडी ठेकेदार द्वारा स्थायी डोल तोड़कर सीमा चिह्न को नष्ट किया गया व बार–बार कर रहे हैं व राजस्व विभाग द्वारा कायम किये गये सीमा चिह्नों को भी नष्ट किया है। अतः प्रार्थीगण अपने उपरोक्त खसरान की भूमि के चारों ओर स्थायी सीमा चिह्न कायम करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरान सं. 420, 431, 432, 434, 483 के चारों ओर जो कि एक चक में है नाप चौक करवाकर स्थायी सीमा चिह्न कयम करने के आदेश राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को फरमावें व जब तक उक्त प्रकरण का निस्तारण न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से न हो अप्रार्थीगण सं. 2 को आदेश प्रदान करावें कि वह प्रार्थीगण के खेत खसरान सं. 431, 432 में जबरन रास्ता कायम नहीं कर सड़क निर्माण काय नहीं कराने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ... तामिल होकर प्राप्त। आवाजें लगाई गई। अनुपस्थित है। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब पेश कर Objection किया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश करने हेतु हिदायत ली गई लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए जवाब अवसर बंद किया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 896/432 रकबा 0.05 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

गै.मु.रास्ता दर्ज है। जिसमें वर्तमान में पी.डब्लयू.डी द्वारा सड़क का निर्माण किया जा चुका है। गै.मु.रास्ता दर्ज होने से वादीगण को राहत दिया जाना उचित नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं राज. पैरोकार ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर पी.डब्लयू.डी द्वारा सड़क का निर्माण किया जा चुका है। जिसके कारण प्रकरण में राजहित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (प्र.स.) कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:52 IST
Reason: SelfAttested